आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली 2022-23

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली
2022 – 23

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
मार्च 2023

विषय वस्तु

अर्थव्यवस्था और वित्त		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	राज्य की अर्थव्यवस्था	21
3.	योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट	34
4.	सार्वजनिक वित्त	42
5.	व्यापार एवं वाणिज्य	75
6.	मूल्य प्रवृत्तियां	95
कृषि और पर्यावरण		
7.	कृषि और ग्रामीण विकास	104
8.	पर्यावरणीय सरोकार	116
इंफ्रा सेक्टर		
9.	औद्योगिक विकास	157
10.	दिल्ली में पर्यटन	173
11.	ऊर्जा	182
शहरी विकास क्षेत्र		
12.	परिवहन	196
13.	जल आपूर्ति एवं सीवरेज	219
14.	आवास एवं शहरी विकास	243
सामाजिक क्षेत्र		
15.	शिक्षा	273
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	301
17.	समाज कल्याण और सुरक्षा	337
18.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	377
जनसांख्यिकी और रोजगार		
19.	जनसांख्यिकीय स्वरूप	384
20.	दिल्ली में गरीबी रेखा	403
21.	रोजगार और बेरोजगारी	412
तालिकाएं		431

आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली – 2022-23
तैयार करने संबंधी टीम

टीम प्रमुख

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, प्र. सचिव (योजना)

श्रीमती निहारिका राय, सचिव (योजना)

टीम के सदस्य

श्री वी एस रावत	निदेशक
श्री रवि धवन	विशेष सचिव
श्री अजय कुमार	अतिरिक्त सचिव
श्री डी. बी. गुप्ता	संयुक्त निदेशक
श्री प्रेमानंद प्रुस्टी	संयुक्त निदेशक
श्री मनीष देव	संयुक्त निदेशक
श्री शान–ए–आलम	संयुक्त निदेशक
श्री अशोक कुमार	उप निदेशक
श्री विनोद ढुकराल	उप निदेशक
श्री ए. के. गोएल	उप निदेशक
श्रीमती रजनी गोविल	उप निदेशक
डॉ. आशुतोष कु. श्रीवास्तव	सहायक निदेशक
डॉ. अरविन्द यादव	सहायक निदेशक
श्री राजेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक
श्रीमती सस्मीता साहू	सहायक निदेशक
श्री बाल कृष्ण	सहायक निदेशक
श्री किशोर चिलकोटि	सहायक निदेशक
श्री दीदार सिंह	सहायक निदेशक
श्री आशीष वर्मा	सहायक निदेशक
श्रीमती सुषमा शर्मा	सहायक निदेशक
श्री संदीप कुमार	सांख्यिकीय अधिकारी
श्रीमती ऋचा डिमरी	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री शाहीद खान	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री मुकेश नरूला	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री सुभाष चंदर	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री गजेंद्र सिंह	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री प्रतीक जैन	सांख्यिकीय अधिकारी
श्रीमती कविता	सांख्यिकीय अधिकारी
श्री के प्रशांत	सांख्यिकीय अधिकारी

सांख्यिकीय सहायक / तकनीकी सहायता

श्री शुभम गुप्ता, श्री अमित शर्मा, श्री मुनीश कुमार, सुश्री गिन्नी कपूर, सुश्री सीमा राजपूत, श्री नवीन दुबे, श्री प्रशांत शर्मा, सुश्री तन्वी गाबा, सुश्री अनुज कुमारी, सुश्री मनुमिता त्रिवेदी, सुश्री ज्योत्सना तनेजा, सुश्री किरण चौहान, सुश्री कीर्ति आर्य, सुश्री शिल्पी सिन्हा, सुश्री मनीषा झा, श्री प्रदीप साहू, सुश्री श्वेता, सुश्री पूजा

आभार

दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण, योजना विभाग के साथ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के टीम वर्क और सहयोग का परिणाम है। आर्थिक सर्वेक्षण में योजना विभाग और आर्थिक ऍव सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली सरकार से सचिव, निदेशक, विशेष सचिव, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सांख्यिकीय अधिकारी और सांख्यिकीय सहायकों का महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण, माननीय मंत्री (योजना), दिल्ली सरकार के बहुमूल्य मार्गदर्शन से लाभान्वित हुआ है।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार के विभागों वित्त, विकास, पर्यावरण, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों का कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति आदि ने अपने–अपने क्षेत्रों/अध्यायों में अहम योगदान दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण, इन विभागों, विशेष रूप से योजना और सांख्यिकीय संवर्ग, जीएनसीटीडी के अधिकारियों के बहुमूल्य समय, जुड़ाव और योगदान के लिए आभारी है। योजना विभाग, दिल्ली सरकार की प्रशासन और लेखा शाखा द्वारा प्रशासनिक सहायता दी गई है।

डॉ. आशीष चंद्र वर्मा
प्र. सचिव (योजना)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

अध्याय 1

परिचय

दिल्ली, एक लघु विश्व को समेटे जीवंत महानगर है और राजधानी के रूप में सौ वर्ष पूरे करने की उपलब्धि भी दिल्ली के गौरव के साथ जुड़ चुकी है। यह शहर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, संस्कृति और साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र है। अपनी अवस्थिति, संपर्क सुविधा और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के कारण दिल्ली हमेशा देश विदेश के पर्यटकों के लिये आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। दिल्ली मेट्रो पूरे विश्व में सातवां व्यस्ततम मेट्रो रेल नेटवर्क है।

2. दिल्ली को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991'' के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली का प्रशासकीय ढांचा दोहरे कार्यक्षेत्र के अधीन है– केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दिल्ली में 11 जिले और 33 सबडिवीजन हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 1114 वर्ग किलोमीटर शहरी और 369 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। इसकी सीमा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से और अन्य सभी दिशाओं में हरियाणा से लगती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का केंद्र भी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 द्वारा सृजित विशेष अंतर्राज्य क्षेत्रीय योजना क्षेत्र है। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में तीन स्थानीय निकाय हैं – दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)।

3. दिल्ली स्थित ''राष्ट्रीय समर स्मारक'' राष्ट्रीय महत्व का स्मृति चिन्ह है जिसकी स्थापना देश के शहीदों के त्याग और बलिदान के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति में वर्ष 2019 में की गयी थी। नयी दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के दो किलोमीटर के खंड राजपथ को एक नया नाम दिया गया है– कर्तव्य पथ। यह बदलाव सत्ता की ताकत का बोध कराने वाले शब्द ''राजपथ'' का जनता के स्वामित्व और सशक्तीकरण का प्रतीक का बोध कराने वाले शब्द ''कर्तव्य पथ'' बनने का उदाहरण है।

4. दिल्ली का लक्ष्य एक समावेशी और उत्कृष्ट वैश्विक ज्ञान केंद्र बनना है, जो अपने समस्त निवासियों को समान आर्थिक और सामाजिक अवसर उपलब्ध करा सके। इसके अलावा सभी नागरिकों के लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रोजगार, निर्बाध आवागमन के साधन, सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण और समयबद्ध सीमा में जन सशक्तीकरण का भी लक्ष्य है। दिल्ली के लिये परिकल्पनाओं की नींव समान विकास के कुछ प्रमुख घटकों पर आधारित है जैसे सतत आजीविका, मानव पूंजी, समावेशी सामाजिक विकास, कुशल प्रशासन और पर्यावरणीय सुरक्षा।

5. दिल्ली में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा, परिवहन और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। देश की राजनीति का केंद्र होने के अलावा दिल्ली व्यावसायिक, यातायात और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है जिसकी वजह से यह सर्वाधिक व्यस्त और आगंतुकों के लिये पसंदीदा शहर है। इन्ही कारणों से दिल्ली को 1951 में उद्घाटन एशियाई खेल, 1982 के एशियाई खेल, 1983 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन, 2010 में पुरुष हॉकी विश्वकप, 2010 में ही राष्ट्रमंडल खेल, 2011 क्रिकेट विश्व कप का एक प्रमुख आयोजन स्थल बनने और 2012 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला जिनसे दिल्ली की प्रतिष्ठा पूरे विश्व तक पंहुची।

6. ”एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य : वसुधैव कुटुम्बकम” सूत्र वाक्य के साथ जी–20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नयी दिल्ली में आयोजित होगा। इस बार भारत ने जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और वह पहली दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इस महत्वपूर्ण संगठन का अध्यक्ष है। यह शिखर बैठक वर्ष भर चली जी–20 की प्रक्रियाओं तथा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच हुई बैठकों के समापन अवसर पर आयोजित होगी। नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर जी–20 नेताओं का घोषणा पत्र स्वीकृत होगा जिसमें विचारित प्राथमिकताओं तथा संबंधित मंत्री समूह और कार्य समूह की बैठकों के दौरान बनी सहमति को लेकर नेताओं की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख होगा।

राज्य की अर्थव्यवस्था

7. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर हमेशा राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.6 गुणे से भी ज्यादा रही है। 2021–22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 389529 रुपये के स्तर पर पहुंच गयी जबकि वर्ष 2020–21 में यह 331112 रुपये थी। वर्ष 2022–23 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान 444768 रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 252024 रुपये थी जबकि 2020–21 में यह 234569 रुपये थी। वर्ष 2022–23 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान, पिछले वर्ष की तुलना में 7.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 271019 रुपये तक पंहुच जाने की आशा है।

8. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। 2022–23 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्द्धित (प्रचलित मूल्यों पर) में इस क्षेत्र का योगदान 84.84 प्रतिशत है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 12.53 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का 2.63 प्रतिशत रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और राज्य की आय में योगदान में तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9. वर्ष 2022–23 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 1043759 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2021–22 के मुकाबले 15.38 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2022–23 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान 652649 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था जो 2021–22 की तुलना में 9.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

10. दिल्ली में सफल व्यापक टीकाकरण अभियान के कारण अर्थव्यवस्था के सामान्य स्तर पर लौटने के साथ ही सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में तेजी से बहाली की आशा बंधी है। कोरोना काल के बाद दिल्ली मे कुल आर्थिक गतिविधि देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक तेजी से बहाल हुई है। वर्ष 2021–22 और 2022–23 में क्रमशः 9.14 प्रतिशत और 9.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में तेजी से सुधार हुआ, जो निम्न आधारभूत प्रभाव और अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित शक्तियों पर आधारित है।

स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिये बजट

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली को एक समावेशी, सबके लिये समान सुविधासंपन्न और बेहतर जीवन योग्य विश्वस्तरीय शहर बनाने और अपने नागरिकों की आकांक्षा पूरी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार ने उच्च कोटि की स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और जनउपयोगी बुनियादी ढांचे के साथ अपने नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंदों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण की व्यवस्था की है।

12. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 2022–23 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और दिल्ली के युवाओं को उद्यमिता के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा पहले से स्थापित उद्यमों और व्यवसायों के लाभ के लिये अनेक नयी योजनाओं की घोषणा की है। रोजगार सृजन के उद्देश्य से घोषित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं : दिल्ली में खाद्य व्यंजन केंद्रों का विकास, दिल्ली बाजार प्लेटफॉर्म की शुरुआत, दिल्ली के गांधीनगर वस्त्र केंद्र का विकास, खुदरा बाजारों का नवीकरण और संवर्द्धन, खाद्य ट्रक नीति, क्लाउड किचेन क्लस्टर, नॉन कंफर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार, दिल्ली खरीदारी उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, दिल्ली फिल्म नीति–"फिल्म–ए–दिल्ली" लागू करना और विद्यार्थियों के लिये उद्यमिता विकास कार्यक्रम इत्यादि।

13. वर्ष 2022–23 का बजट 75,800 करोड़ रुपये का था जिसमें से 43,600 करोड़ रुपये रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिये आवंटित किये गये। यह आवंटन 2021–22 (ब.अ.) के 37,800 करोड़ रुपये से 5800 करोड़ रुपये अधिक था।

43,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के बीच वितरित किया गया। आवंटन का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का ब्योरा इस प्रकार हैः–

(1) परिवहनः– स्कीम के तहत सबसे अधिक बजट आवंटन परिवहन क्षेत्र के लिये था दृ 8817 करोड़ रुपये (कुल स्कीम बजट का 20 प्रतिशत)। इसमें से प्रमुख आवंटन (i) 1801 करोड़ रुपये डीएमआरसी फेज 4 के निर्माण कार्य के लिये (ii) 2675 करोड़ रुपये डीटीसी को जीआईए के लिये (iii) 1555 करोड़ रुपये कलस्टर बसों के वर्किंग डेफिसिट पर डीआईएमटीएस के लिये तथा पिंक पास और सुरक्षा इत्यादि के लिये बसों में मार्शलों की तैनाती के लिये थे।

(2) शिक्षाः– इस क्षेत्र के लिये 7310 करोड़ रुपये का बजट आवंटन (कुल स्कीम बजट का 17 प्रतिशत) था जिसमें से बड़ा आवंटन (i) 1463 करोड़ रुपये एमसीडी के लिये (ii) 700 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान (iii) 600 करोड़ रुपये मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के (iv) 310 करोड़ रुपये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिये और (v) 250 करोड़ रुपये स्कूल यूनिफॉर्म सबसिडी के लिये हैं।

(3) जलापूर्ति और स्वच्छताः– जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिये 6710 करोड़ रुपये का बजट आवंटन है जो कुल स्कीम बजट का 15 प्रतिशत है। इसमें से 3786.36 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन यमुना और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये 600 करोड़ रुपये तथा सीवरेज और जलनिकासी प्रणाली के लिये 2923.64 करोड़ रुपये सहित जलापूर्ति के लिये है।

(4) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य : इस क्षेत्र के लिये बजट आवंटन 5567 करोड़ रुपये है जो स्कीम बजट का 13 प्रतिशत है।

14 आउटकम बजट 2022–23 में 23 प्रमुख विभागों का उल्लेख है जिसमें प्रमुख कार्यक्रम और स्कीम तथा प्रत्येक के लिये मुख्य आउटपुट और आउटकम संकेतक निर्दिष्ट किये गये। यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया कि संकेतक स्मार्ट यानी (विशिष्ट, मापनयोग्य, उत्तरदायित्व निश्चित करने योग्य, वास्तविक और लक्षित) हों साथ ही ये विभिन्न विभागों की समान स्कीम और कार्यक्रमों से तुलना योग्य भी हों।

15. आउटकम बजट की स्थिति रिपोर्ट भी वार्षिक रूप से संकलित की जाती है जो आउटकम बजट की उपलब्धियों की स्थिति बतलाती है। संकेतकों को 'ऑन ट्रैक' और 'ऑफ ट्रैक' रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

सार्वजनिक वित्त

16. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्र से सहायता अनुदान/अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के कर राजस्व में जीएसटी (वस्तु और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार सहित), मूल्य संवर्द्धित कर (वैट), स्टैंप और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद और मोटर वाहन कर के तहत प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान ये कर मिलकर राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 81 प्रतिशत थे। 2021–22 के दौरान दिल्ली सरकार के कर संग्रह में 36 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि हुई जबकि 2020–21 में (कोविड महामारी के कारण) 19.53 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि रही थी। 2021–22 में कर राजस्व के सभी घटकों में सकारात्मक वृद्धि रही। 2022–23 (ब.अ.) के दौरान दिल्ली सरकार के लक्षित कर संग्रह में 2021–22 (अस्थायी) की वास्तविक वृद्धि की तुलना में 19.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा निवेश और सेवा प्रभार/शुल्क/जुर्माने इत्यादि शामिल हैं।

17. दिल्ली विधान सभा ने 31 मई 2017 को राज्य वस्तु और सेवा अधिनियम पारित किया था और इस प्रकार दिल्ली में जीएसटी 01.07.2017 से लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व में लागू वैट (पैट्रोलियम, शराब इत्यादि के अलावा) और अन्य कर जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर और केबल टीवी कर जीएसटी में मिला दिये गये। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग ने सभी मौजूदा वैट डीलर्स को वस्तु और सेवा कर की नयी प्रणाली में सुचारू ढंग से लाने के लिये सभी प्रयास किये हैं।

18. वर्ष 2011–12 में दिल्ली सरकार पर 29608.27 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था जो इसके जीएसडीपी के 8.61 प्रतिशत के बराबर था। 31.03.2022 को बकाया ऋण राशि 41481.50 करोड रुपये थी जिससे ऋण–जीएसडीपी अनुपात 4.59 प्रतिशत पर आ गया। राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतान के अनुपात में भी कमी आयी और यह 2021–22 में 6.64 प्रतिशत हो गया जबकि 2011–12 में यह अनुपात 13.03 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि ऋण समस्या नियंत्रण में है। दिल्ली सरकार को 2021–22 के दौरान 5000 करोड़ रुपये का लघु बचत ऋण प्राप्त हुआ जबकि 2020–21 के दौरान 9500 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया।

19. दिल्ली ने राजस्व आधिक्य की अपनी स्थिति बनाये रखी है। वर्ष 2021–22 (प्रॉविजनल) में यह बढ़कर 3270 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसके पिछले वर्ष 2020–21 में यह 1450 करोड़ रुपये था। 2021–22 के दौरान दिल्ली का राजस्व आधिक्य जीएसडीपी का 0.36 प्रतिशत था और 2022–23 (बजट अनुमान) में यह 0.73 प्रतिशत है।

20. पहले के केंद्रीय वित्त आयोगों की तरह ही दिल्ली पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग (15वें सीएफसी) की संदर्भ शर्तों के दायरे में नहीं आ सका है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020–21 से लेकर 2025–26 तक की है। इसलिये राज्यों के लिये आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं, जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, स्थानीय निकायों के लिये सहायता अनुदान, राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय अनुदान, आपदा राहत अनुदान इत्यादि शामिल हैं, दिल्ली को नहीं मिल सकेंगी। इस मुद्दे पर रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार पहले ही भारत सरकार से समुचित कदम उठाने का अनुरोध कर चुकी है ताकि दिल्ली को पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग के दायरे में लाया जा सके। वर्तमान में दिल्ली को केंद्रीय करों में हिस्से के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान मिलता है और यह भी 2001–02 से 325 करोड़ रुपये पर स्थिर है। वर्ष 2000–01 में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के लिये सामान्य केंद्रीय सहायता 370 करोड़ रुपये थी और 22 वर्ष बाद भी यह (2022–23 ब.अ.) 626 करोड़ रुपये पर बनी हुई है।

21. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार समय समय पर गठित किये जा रहे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने स्थानीय निकायों को राशि अंतरित कर रही है। दिल्ली में स्थानीय निकायों को राशि अंतरण का तीसरे दिल्ली वित्त आयोग (कार्यकाल 2006–07 से 2010–11) की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूला 2015–16 तक बढ़ा दिया गया था। रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2669 और 2670 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें 2016–17 से 2020–21 तक लागू करने और 2011–12 से 2015–16 तक निवल कर का अंतरण, चौथे के स्थान पर तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार जारी रखने का फैसला लिया।

व्यापार और वाणिज्य

22. व्यापार और वाणिज्य ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था की मजबूती में, कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान और समाज के बड़े हिस्से को लाभकारी रोजगार मुहैया कराकर, केंद्रीय भूमिका निभायी है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यापार और उपभोग केंद्र है। व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में दिल्ली की विशेष पहचान है यानी कि इसकी आर्थिक गतिविधि का बड़ा हिस्सा कहीं और तैयार माल के पुनर्वितरण तथा स्थानीय बिक्री के लिये आयात और अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने यानी अंतर्राज्यीय बिक्री से जुड़ा है। अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य ऐतिहासिक कारणों, बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि की वजह से दिल्ली ने एक प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा हासिल कर लिया है।

23. वर्ष 2022–23(अ.अ.) के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली में व्यापार, होटल और रेस्तरां से जीएसवीए 117417 करोड़ रुपये रहा जो दिल्ली के कुल जीएसवीए का लगभग 12.81 प्रतिशत है (आधार वर्ष 2011–12)। दिल्ली के जीएसवीए में इस क्षेत्र का योगदान पिछले 12 वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक रहा है।

मूल्य रुझान

24. थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) राष्ट्रीय स्तर पर थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव मापने के लिये उपयोग में लाया जाता है। डबल्यूपीआई की वर्तमान श्रृंखला आधार वर्ष (2011–12 = 100) से तुलना के लिये एक अवधि के दौरान थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मासिक थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) संकलित करता है और जारी करता है।

25. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडबल्यू) का सामान्य उपयोग दैनिक उपभोग की आम वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का रुझान मापने के लिये किया जाता है। श्रम ब्यूरो ने सितंबर 2020 से सीपीआई– आईडबल्यू की मौजूदा श्रृंखला के आधार 2001=100 को नये आधार 2016=100 में परिवर्तित किया है। श्रम ब्यूरो, शिमला परिवर्तित श्रृंखला के तहत भारत में दिल्ली सहित चुने हुए 88 केंद्रो/बाजारों के लिये साप्ताहिक/मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलिय और जारी कर रहा है।

26. सूचकांक 6 समूहों के लिये अलग से तैयार किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक ग्रुप को भार देते हुए इसे संघटित किया जाता है। परिवर्तित श्रृंखला 2016 = 100 के तहत सबसे अधिक भार खाद्य एवं पेय पदार्थ के समूह को 36.13 प्रतिशत भार दिया गया है। इसके बाद विविध वस्तुओं को 26.26 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश को 7.05 प्रतिशत, वस्त्र एवं फुटवियर को 5.43 प्रतिशत तथा पान, सुपारी और मादक पदार्थ को क्रमशः 0.84 प्रतिशत पर।

27. दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9.3 अंक (8.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2021 के 116.4 से बढ़कर वर्ष 2022 में 125.7 हो गया। खाद्य और बीवरेज समूह का सूचकांक वर्ष 2021 के 117.9 से बढ़कर वर्ष 2022 में 130.7 हो गया, इसमें 12.8 (10.9 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी।

कृषि और ग्रामीण विकास

28. 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धित (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण ने कृषि और सहयोगी सेक्टर में गिरावट का रुझान दर्शाया। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान जारी मूल्यों पर 2011–12 के 0.94 प्रतिशत से कम होकर 2022–23 में 0.31 प्रतिशत हो गया।

29. दिल्ली में कुल सकल फसल क्षेत्र बढ़कर 2021–22 में 47850 हेक्टेयर हो गया जो 2011–12 के दौरान 36445 हेक्टेयर था। दिल्ली का शेष क्षेत्र विभिन्न अन्य उपयोगों जैसे गैर कृषि कार्यों, वन, उसर भूमि, न जोतने योग्य भूमि इत्यादि में प्रयुक्त हो रहा है। दिल्ली में कृषि क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण तेजी से शहरीकरण और पेशे में बदलाव है, विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान।

30. पशुधन कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास पर असर डालता है।

31 दिल्ली में पशुदेखभाल संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 48 सरकारी पशु अस्पताल, 29 पशु चिकित्सालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लीनिक हैं। सरकारी पशु अस्पताल और औषधालयों में उपचार पाने वाले पशुओं की संख्या 2011–12 के 4.16 लाख से बढ़कर 2021–22 में 5.11 लाख हो गयी। सितंबर 2022 तक यह संख्या 2.73 लाख हो चुकी थी। इस बढ़ोतरी का कारण किसानों में शिक्षा और जागरुकता बढ़ना है।

पर्यावरणीय सरोकार

32. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिये वन और पेड़ों से घिरे क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की पहल की है। सरकार के इन उपायों से वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र बढ़कर 2021 में 342 वर्ग किमी हो गया। इससे भारतीय वन क्षेत्र रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा बढ़कर 23.06 प्रतिशत हो गया है।

33. इस रिपोर्ट के अनुसार सात प्रमुख बड़े शहरों में दिल्ली का वन क्षेत्र सबसे अधिक 194.24 वर्ग किमी है, इसके बाद मुंबई का 110.77 वर्ग किमी और बंगलुरू का 89.02 वर्ग किमी है। वृक्षों से घिरे क्षेत्रों में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के तौर पर चंडीगढ़ (13.16 प्रतिशत) के बाद दिल्ली का स्थान दूसरा (9.91 प्रतिशत) है।

34. रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान के लिये आईटीआईटी–कानपुर नीत संकाय को "दिल्ली में अग्रिम वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिये वास्तविक समय स्रोत संविभाजन और पूर्वानुमान अध्ययन" की मंजूरी दी है ताकि वायु प्रदूषण पर लक्षित ध्यान देने और ठोस निर्णय लेने के लिये व्यापक वैज्ञानिक डेटा बेस विकसित किया जा सके। पीएम2.5, एनओ2, एनओ$_x$, सीओ, एसओ2, ओजोन, बीटीएक्स, एलेमेंटल कार्बन, जैविक कार्बन, पीएएच, तत्व, आयन, द्वितीयक अजैविक और जैविक एयरोसिस, आणविक मार्कर और अन्य जैविक यौगिक। रियल टाईम डेटा वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

35. दिल्ली सरकार ने 21.10.2022 को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नयी दिल्ली में जन जागरुकता कार्यक्रम "दिया जलाओ पटाखे नहीं आयोजित किया।

उद्योग

36. नीति आयोग – ''एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021–22'' के अनुसार, दिल्ली, संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में देश में अग्रिम वाहक श्रेणी में आता है।

37. जारी मूल्यों पर जीएसवीए अनुमानों के अनुसार विनिर्माण से होने वाली आय 2011–12 के 18907 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022–23 (अ.अ.) में 39897 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि जीएसवीए में विनिर्माण का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 6.24 प्रतिशत से घटकर 2022–23 (अ.अ.) में 4.35 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान दिल्ली के कुल जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान भी घटकर 2011–12 के 13.09 प्रतिशत से 2022–23 (अ.अ.) में 12.53 प्रतिशत पर आ गया।

दिल्ली में पर्यटन

38. भारत की राजधानी दिल्ली विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिये प्रमुख गंतव्यों में एक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ गलैंस– 2022 के अनुसार 2021 में कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन में दिल्ली 9.50 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। दिल्ली मे और इसके आसपास कई महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं। दिल्ली पर्यटन क्षेत्र से भी आय अर्जित करता है।

39. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में स्मारक और विरासत स्थलों के लिये विभिन्न पहल की हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिये पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किया गया है।

40. दिल्ली पर्यटन विभाग राजधानी में अनेक मेले और उत्सवों का आयोजन करता है। राजधानी को न केवल विदेशी पर्यटकों बल्कि घरेलू पर्यटकों और दिल्ली के नागरिकों के लिये भी विशिष्ट पर्यटन और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में दर्शाने के लिये अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। दिल्ली पर्यटन दिल्ली हाट आईएनए, दिल्ली हाट पीतमपुरा और दिल्ली हाट जनकपुरी (खानपान और शिल्प बाजार) तथा कॉफी होम भी संचालित करता है। दिल्ली पर्यटन का एक अनूठा उद्यान भी है जिसे 'गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज ' नाम से जाना जाता है।

ऊर्जा

41. दिल्ली सरकार ने 2002 में बिजली पारेषण और उत्पादन के निगमीकरण और विद्युत वितरण के निजीकरण के साथ बिजली क्षेत्र सुधार लागू किये। दिल्ली के बिजली परिदृश्य में पारेषण और वितरण हानि में कमी, उपभोक्ता सेवाओं, पारेषण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दिल्ली विद्युत बोर्ड समाप्त करने के बाद दिल्ली के बिजली प्रतिष्ठान में उत्पादन कंपनियों (इंद्रप्रस्थ बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड– आईपीजीसीएल और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड– पीपीसीएल, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से पारेषण, और पांच वितरण कंपनियां–ड़िस्कॉम्स–बीवाईपीएल, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएम, औक एमईएएस) की भागीदारी है।

42. दिल्ली की कुल बिजली खरीद में 2019–20 तक आमतौर पर उछाल का रूख रहा है। 2021–22 में कोविड–19 के प्रसार के बाद बिजली उपभोग में गिरावट आई। बिजली खरीद 2011–12 में 33390 मेगा यूनिट से बढ़कर 2021–22 में 37460 मेगा यूनिट हो गई। जबकि कुल बिजली खरीद का 16.65 प्रतिशत दिल्ली सरकार के बिजली संयंत्रों से उत्पादित होता है, 83.34 प्रतिशत केंद्रीय सरकार और अन्य स्रोतों से खरीदी जाती है। अवधि की शिखर मांग 2011–12 के 5028 मेगावाट से बढ़कर 2021–22 में 7323 मेगावाट हो गई है।

43. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य पारेषण केंद्र है। इस पर प्रणाली की जरुरतों के अनुसार ईएचवी नेटवर्क के उन्नयन, संचालन औ रख–रखाव के अलावा 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली पारेषण का उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के

बाद दिल्ली में बिजली प्रणाली का एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के तहत एक नया विभाग– स्टेट लोड डिस्पैच केंद् गठित किया गया। इससे पहले एसएलडीसी दिल्ली ट्रांस्को लिमिडेट दिल्ली विद्युत बोर्ड के संचालन और रख–रखाव विभाग का हिस्सा था। एसएलडीसी दिल्ली ने 1 जनवरी 2004 को काम शुरू किया था। यह रियल टाइम लोड डिस्पैच, एससीएडीए प्रणाली और ऊर्जा लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। एनआरएलडीएस (उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र) के साथ समन्वय में राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय बिजली हस्तांतरण को वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विश्वसनीयता, सुरक्षा और कम खर्च के साथ सुविधाजनक बनाना इसका मिशन है।

44. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के बिजली पारेषण नेटवर्क में 400 केवी के चार और 220 केवी के 41 सब–स्टेशन हैं और ये पारेषण लाइनों से जुड़े हैं। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली के चारों ओर 400 केवी का घेरा है जो पूरी दिल्ली में फैले 220 केवी नेटवर्क से जुड़ा है। 2021–22 के दौरान इसकी कुल रूपांतरण क्षमता 400 केवी स्तर पर 5410 एमवीए और 220 केवी स्तर पर 14380 एमवीए है। 2021–22 के दौरान कुल ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई सर्किट किलोमीटर में 400 केवी स्तर पर 249.2 और 220 केवी स्तर पर 860 है।

45. दिल्ली सरकार ने ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है। सरकारी इमारतों की छत, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप इत्यादि पर एसवीपी पैनल लगा कर नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र को सौर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति दे दी है।

46. नगर निगम के ठोस कचरे का निपटान एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के साथ–साथ बिजली उत्पादन के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके अनुरूप तेहखंड (25 एमवी) में कचरे से ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम प्रगति पर है, भलस्वा में 15 एमवी का संयंत्र और गाजीपुर में मौजूदा संयंत्र का विस्तार कर 8 एमवी का बनाने पर भी विचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त एमसीडी और एनटीपीसी ने 12 एमवी का कचरे ऊर्जा संयंत्र लगाने का संयुक्त उद्यम तैयार किया है।

47. दिल्ली के 6864 स्थानों पर सितंबर 2022 तक 244 एमवी की सौर प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

परिवहन

48. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी 16.78 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) है। यह पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार शहर में सुरक्षित सुचारू, किफायती, जनअनुकूल और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

49. दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक हैं– बस परिवहन, मुख्यतः डीटीसी और क्लस्टर बसों द्वारा तथा डीएमआरसी का मेट्रो रेल। 2021–22 में डीटीसी बसों में दैनिक औसत यात्री संख्या 15.62 लाख और क्लस्टर बसों की 9.87 लाख थी।

50. मेट्रो लाइन के 64.75 एक किलोमीटर का काम फेज–1 के अंतर्गत और 123.30 किलोमीटर का काम फेज–2 (16.32 किलोमीटर एनसीआर में) के अंतर्गत पूरा हुआ। फेज–3 के तहत एनसीआर में अतिरिक्त कॉरिडोर विस्तार, जिसमें 109 स्टेशनों (एनसीआर के 30 स्टेशन के साथ 42.18 किलोमीटर रूट) के साथ 160 किलोमीटर का कार्य पूरा किया गया। फेज–4 के तहत 3 प्राथमिकता कॉरिडोर का काम प्रगति पर है।

51. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 2021–22 में सड़कों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 79.18 लाख थी। इसमें दिल्ली सरकार द्वारा 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध और 2021–22 तक 48,77,646 वाहनों का पंजीकरण रद्द किए जाने के कारण मोटर वाहनों की कुल संख्या में 35.38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। प्रति हजार की आवादी पर वाहनों की संख्या में भी गिरावट आई और यह 2020–21 के 655 से कम होकर 2021–22 में 472 हो गई।

52. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गई। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के–95.13 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग– 37.50 किलोमीटर, शाखा सड़कें–298 किलोमीटर और 30 मीटर से कम चौडाई वाली 926 किलोमीटर सड़कें बनाई गई।

53. एनसीआर में डीटीसी सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन इकाई है। डीटीसी शहर के 461 रूटों पर और एनसीआर के 7 रुटों पर 4010 बसें परिचालित करती हैं। डीटीसी दिल्ली–काठमांडू के लिए अंतरराष्ट्रीय बस सेवा भी संचालित कर रही है। इसके अलावा 3319 बसें क्लस्टर योजना के तहत चलाई जा रही है।

54. वर्तमान में 63 बस डिपो (डीटीसी 40, क्लस्टर 23) और 16 बस टर्मिनल परिचालन में हैं।

55. रात्रि सेवा के लिए 27 रूटों पर 88 बसें चलाई जाती हैं। 30 रूटों पर व्यस्ततम समय के दौरान 30 महिला स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 30 सितंबर 2022 को डीटीसी की बसों में 7938 मार्शल और क्लस्टर बसों 3296 मार्शलों की तैनाती थी।

56. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में विद्युत बसों को बढावा देने का फैसला किया है इससे वाहनों के कारण होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत में विद्युत वाहनों के निर्माण और तेजी से अपनाये जाने की योजना (फेम इंडिया) के तहत डीटीसी में दिसंबर 2022 तक 300 बिजली चालित बसें शुरू की गई थीं।

57. रा.रा.क्षे. दिल्ली सकार ने डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा की शुरूआत 29.10.2019 से की। एसी और नॉन एसी बसों में निशुल्क यात्रा के लिए 10 रुपए का एकल यात्रा पास–एक गुलाबी टिकट के रूप में जारी किया जाता है। 2021–22 के दौरान डीटीसी की बसों में 13.04 करोड़ और क्लस्टर बसों में 12.69 करोड़ महिला यात्रियों ने निशुल्क यात्रा की।

जलापूर्ति और सीवरेज

58 एसडीजी–6 के अंतर्गत संधारणीय विकास लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है– सबसे लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। दिल्ली सरकार साफ, सुरक्षित, पर्याप्त और सुलभ पीने का पानी तथा स्वच्छता तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वस्थ जीवन के लिए ये जन सुविधाएं सभी नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी है। सरकार सभी घरों को चौबीसों घंटे साफ पानी उपलब्ध कराने, अधिक से अधिक मात्रा में अवजल और ठोस कचरे तथा सभी प्रकार के औद्योगिक बहिस्राव का उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

59. दिल्ली सरकार ने जल कनेक्शन का मीटर रखने वाले प्रत्येक घरों को 20 किलोलीटर तक पानी निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। लगभग 21.39 लाख उपभोक्ता इस योजना के लागू होने के बाद से लाभान्वित हो चुके हैं। हाल में सरकार ने एक सीमित अवधि के लिए सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने की स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले अनिच्छुक निवासियों को अपने घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर शहर और यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है। सीवर कनेक्शन के लिए आवश्यक विकास शुल्क से छूट देकर अधिक से अधिक घरों को सीवर कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

60. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है उपेक्षित और सुविधावंचित क्षेत्रों तक नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना। कुल अनधिकृत कॉलोनियों के 96 प्रतिशत को इस दायरे में लाया गया है। शेष कॉलोनियों को भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

61. जल और स्वच्छता क्षेत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है– दिल्ली से बाहर के स्रोतों से जलापूर्ति बढ़ाना– जैसे हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तराखंड में किशाउ और लखवार व्यासी बांध, तालाबों के संभरण और से यमुना बाढ़ क्षेत्र से भूमिगत जल प्राप्त कर रहे हैं। जल पुनचक्रण, जल संचयन, पानी का रिसाव रोके जाने, समुचित जल रेखांकन से गैर राजस्व जल की मात्रा में कमी लाने, बल्क मीटर लगाने जैसे उपायों से आंतरिक स्रोतों की क्षमता बढाई जा रही है।

62. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार किया है और पानी की मांग पूरी करने, कुशल जल वितरण प्रबंधन, समुचित जल लेखांकन, जीपीएस/जीआरपीएस के उपयोग से पारदर्शी टैंकर जल वितरण प्रणाली के लिए कई उपाये किए हैं।

63. दिल्ली के लगभग 93 प्रतिशत घरों को अब पाइप के जरिये जलापूर्ति हो रही है। गर्मियों के दौरान जल उत्पादन 956 एमजीडी प्रतिदिन पर बनाए रखा जा रहा है। पानी की आपूर्ति मौजूदा आपूर्ति नेटवर्क के जरिये होती है, जिसमें 15383 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय (यूजीआर) शामिल हैं। स्टेनलेस स्टील से निर्मित और जीपीएस युक्त 397 नए जल टैंकर शहर में टैंकर से आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए लगाए गए हैं। लगभग 596 माइल्ड स्टील टैंकरों के अलावा 250 नए खरीदे गए स्टेनलेस स्टील के टैंकर पानी के कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए मौजूदा टैंकरों के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं।

64. दिल्ली जल बोर्ड ने जल लेखांकन के लिए फ्लो मीटर लगाने की परियोजना शुरू की है। दिल्ली जल बोर्ड लगभग 3285 बल्क फ्लो मीटर अपनी प्राथमिक और द्वितीयक प्रणाली में लगा रहा है जो 100 मि.मी. व्यास से 1500 मि.मी. व्यास तक के हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय झंडेवालान में एक डेटा/एससीएडीए केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जहां वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन डेटा प्राप्त किए जा रहे हैं। इससे वास्तविक समय निगरानी और बेहतर जलापूर्ति में मदद मिल रही है।

65. दिल्ली जल बोर्ड की स्थापित क्षमता में पिछले 10 वर्ष के दौरान 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2013 में 836 एमजीडी की क्षमता बढ़कर 2021 में 921 एमजीडी हो गई है। वर्ष 2022 में यह और सुधरकर 943 एमजीडी हो गई।

66. जल शुल्क 'अधिक इस्तेमाल, अधिक भुगतान' के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान जल शुल्क नीति पानी का अत्यधिक उपभोग या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करने वाली है। दिल्ली जब बोर्ड ने वर्ष 2021–22 के दौरान 1530.60 करोड़ रुपए संकलित किए हैं। 20 किलोलीटर प्रतिमाह पानी का उपभोग करने वाले और जल मीटर लगवा चुके दिल्ली जल बोर्ड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शत–प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है और उन्हें एक मार्च 2015 से पानी बिल भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है।

67. दिल्ली जल बोर्ड ने बिना मीटर वाली जलापूर्ति की मीटरिंग के उद्देश्य से जल मीटर लेने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार किया है। वाटर कनेक्शन की मंजूरी के साथ जल मीटर आपूर्ति की मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया गया है। अब उपभोक्ता खुले बाजार से अनुमोदित विशेषताओं वाले जल मीटर खरीद सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के त्रृटिपूर्ण मीटर प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं को इसके स्थान पर निजी जल मीटर लेने की अनुमति होगी और उन्हें या तो मीटर सिक्योरिटी का रिफंड लेने या बाद के जल प्रभार में इसे समायोजित करने का विकल्प दिया जाएगा।

68. दिल्ली जल बोर्ड अपने 67 जल निकायों का पुनरूद्धार कर रहा है। इनमें से 42 का पुनरूद्धार कार्य पूरा हो चुका है और 25 के लिए जल्दी ही निविदाएं जारी की जाएगी। तिमारपुर ऑक्सीडेशन पौंड, द्वारका, पप्पनकला, रोहिणी, निलोठी में जल निकाय सृजन और रोशनआरा लेक का पुनरूद्धार कार्य शुरू किया जा रहा है।

69. प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। 92.73 करोड़ रुपए की लागत से 42 जल निकायों के पुनरूद्धार का काम प्रगति पर है और 16 कृत्रिम झील, रोशनआरा लेक, तिमारपुर ऑक्सीडेशन पौंड की लागत 98.00 करोड़ रुपए है।

70. दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी सीवेज उपचार क्षमता बढाकर 31.03.2022 तक 632.26 एमजीडी कर ली है। इसके केवल 88.67 प्रतिशत का ही उपयोग हो पा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की शाखीय, परिधीय सीवर नेटवर्क लगभग 9300 किलोमीटर का है। 200 किलोमीटर का मुख्य सीवर नेटवर्क भी है। मुख्य सीवर और परीधीय सीवर के पुर्नसुधार/गाद हटाने का काम भी प्रगति पर है।

आवासन और शहरी विकास

71. दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक ऐसे गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए संधारणीय, समावेशी और सबके लिए समान सुविधाओं से युक्त बनाना है, जो पारिस्थितकीय और सांस्कृतिक रूप से सतत और सुलभ हो। मलिन बस्तियों के उन्नयन, बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पर्याप्त जल स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधाजनक आवास तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ये नागरिकों के उत्तम और स्वास्थ्यकर जीवन के लिए अनिवार्य घटक हैं।

72. दिल्ली में आवास स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और विकास उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर–विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की भारी आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृशय की मुख्य पहचान है।

73. हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ–सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से लगभग 52,000 रिहायशी इकाईयों की स्थिति में सुधार होने का अनुमान है।

74. पहली मई, 2017 से दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम लागू किया। इसका लक्ष्य रीयल एस्टेट क्षेत्र का नियमन सुनिश्चित करना और प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि उपभोक्ताओं के हित संरक्षित किए जा सके। अधिनियम के तहत प्राधिकरण के निर्णयो, निर्देशों या आदेशों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन जाएगा। यह प्राधिकरण पारदशिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

75. दिल्ली का मूल ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने और शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। यह निगम उन शहरी विरासत स्थलों का संरक्षण करेगा जो स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है।

76. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के तहत अनेक पहल की है। जैसे– घरों से कचरा एकत्र करना, स्रोत पर ही उन्हें अलग–अलग करना, कचरा उपचार संयंत्रों का विकेन्द्रीकरण और एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाना। 11,104 मीट्रिक टन प्रतिदिन ठोस कचरा एकत्र किया गया और तीन कूड़ा स्थलों तथा प्रसंस्करण संयंत्रों तक भेजा गया। कुल कचरे के लगभग 47 प्रतिशत का प्रसंस्करण कचरे से ऊर्जा और कचरे से कंपोस्ट संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष को तीन कूड़ा स्थलों पर डाल दिया जाता है।

77. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला कूड़ा स्थलों पर एकत्र कचरे के निपटान के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए राशि जारी की है। इन कूड़ा स्थलों पर लंबे समय से एकत्र किए जा रहे कचरे से लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसका स्वीकार्य नियमों के तहत जल्दी से जल्दी वैज्ञानिक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित निपटान किया जाना आवश्यक है। इन स्थानों से कूड़े का ढेर हटाने के बाद खाली हुई जमीन का उपयोग एकीकृत कचरा प्रसंस्करण और उपचार केंद्र के रूप में किया जा सकेगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इस स्थल के चारो ओर जैव विविधता पार्क भी विकसित किया जा सकेगा।

शिक्षा

78. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत है, इसमें पुरूष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत है, जो 80.9 प्रतिशत पुरूष साक्षरता और 64.6 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ 73 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री–पुरुष अंतराल में कमी आई है और यह 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 प्रतिशत रह गई। 75वें एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली केरल के बाद साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है। केरल की साक्षतरा दर 88.7 प्रतिशत है।

79. दिल्ली सरकार के कुल 1250 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 22.24 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 के दौरान सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन का हिस्सा दिल्ली के सभी स्कूलों के कुल नामांकन का 41.46 प्रतिशत रहा।

80. यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2021–22 के अनुसार दिल्ली में शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कहीं ज्यादा है।

81. शिक्षा निदेशालय ने कोविड के कारण स्कूलों के कामकाज में व्यवधान के बावजूद सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों पर सराहनीय परिणाम हासिल किए हैं। शिक्षा सत्र 2021–22 में सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत 12वीं कक्षा के स्तर पर 98 प्रतिशत और 10वीं कक्षा के स्तर पर 97 प्रतिशत रहा।

82. शिक्षा निदेशालय ने आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षा सत्र 2022–23 में आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधावंचित श्रेणी के बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन ड्रा का संचालन किया और 32406 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला।

83. आरबीआई की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी राज्यों की तुलना में शिक्षा क्षेत्र के लिए सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया। 2022–23 के दौरान दिल्ली शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट के 20.5 प्रतिशत के निर्धारण के साथ शीर्ष पर रहा। असम ने 19.6 प्रतिशत और चंडीगढ़ ने 17.8 प्रतिशत का निर्धारण शिक्षा क्षेत्र के लिए किया था। 2022–23 में इस संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 13.6 प्रतिशत है।

84. वर्ष 2021–22 के दौरान स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक की पायलट परियोजना के अनुभव के आधार पर डीजीएचएस और शिक्षा निदेशालय ने इस परियोजना को आगे बढाया और दिल्ली के 20 सरकारी स्कूलो में जुलाई 2022 से चिकित्सकों, पीएचएनओ और सहायकों ने स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक में काम शुरू कर दिया।

85. शत–प्रतिशत स्कूलों ने अपने सिलेबस में देश–भक्ति पाठ्यक्रम लागू कर दिया है।

86. शिक्षा सत्र 2021–22 के दौरान प्रतिभा सह साधन से जुड़ी वित्तीय सहायता स्कीम के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय को कुल 11379 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है।

87. दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 2020 में हुई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय कौशल शिक्षा प्रदान करना और कौशल से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करना है, ताकि राष्ट्र के विकास के लिए प्रशिक्षित और रोजगार में लगाने योग्य मानव संसाधन विकसित करने की चुनौती का समाधान किया जा सके। वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय ने अपने प्रवेश क्षमता 2021–22 के 6258 से बढ़ाकर 7933 कर दी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

88. दिल्ली अपने निवासियों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की समान और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने तथा संचारी और गैर संचारी रोगों की घटनाओं में कमी के साथ गतिशीलता और मृत्युदर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

89. दिल्ली सरकार 4 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा मॉडल लागू कर रही है। पहले और दूसरे स्तर पर मोहल्ला क्लीनिक और पॉलिक्लीनिक से प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 31 मार्च 2022 को 89 अस्पताल, 48 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1621 औषधालय, 128 मैटर्निटी होम और उप–केंद्र, 44 पॉलिक्लीनिक, 1050 नर्सिंग होम, 508 विशेष क्लीनिक और 19 मेडिकल कॉलेज दिल्ली में उपलब्ध थे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान है जिसके अंतर्गत 38 मल्टीस्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 167 एलोपैथिक औषधालय, 58 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 517 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 30 पॉलिक्लीनिक, 49 आयुर्वेदिक औषधालय, 22 यूनानी औषधालय, 108

होम्योपैथी औषधालय और 50 स्कूल स्वास्थ्य क्लीनिक नागरिकों को स्वास्थ्य उपचार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

90. सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं और निशुल्क सर्जरी शुरू की है। रेडियोलॉजिकल निदानों और सर्जरी के लिए रोगियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना, एसिड हमले/जलने की घटना के पीड़ित लोगों का भी उपचार दिल्ली आरोग्य कोष से किया जा रहा है।

91. शिशु मृत्युदर, नवजात मृत्युदर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के संदर्भ में दिल्ली 12,9 और 14 के स्तर पर है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह क्रमशः 28, 20 औ 32 है। इसी प्रकार 1.4 के कुल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) के साथ दिल्ली पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के समकक्ष है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह दर 2.0 है। यह आंकड़ा रिप्लेसमेंट रेट की उपलब्धि दर्शाता है।

92. शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव का स्तर प्राप्त करने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को और सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। 2021 में संस्थागत प्रसव का अनुपात 91. 21 प्रतिशत था। शत–प्रतिशत दर की उपलब्धि के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाये जाने की जरूरत है।

93. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, टीबी नियंत्रण, कुष्ठरोग उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह कार्यक्रम दिल्ली में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसायटी राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम लागू कर रही है। आयुष निदेशालय आईएसएम और होम्योपैथी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करता है।

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा

94. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मुसीबतजदा महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम/स्कीम लागू कर रही है।

95. सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास तथा एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम/कार्यक्रमों के लिए संसोधित बजटीय आवंटन 4336 करोड़ रुपए और 2022–23 में 4522 करोड़ रुपए था। इसमें से मौजूदा वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों (4.24 लाख लाभान्वित दिसंबर 2022 तक), मुसीबतजदा महिलाएं (3.47 लाख लाभान्वित दिसंबर 2022 तक), विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति (1.11 लाख लाभान्वित दिसंबर 2022 तक) की वित्तीय सहयोग योजना के लिए आवंटन लगभग 3166 करोड़ रुपए है। 60–69 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए और 70 वर्ष और ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और

मुसीबतजदा महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए का वित्तीय सहयोग दिया जाता है। एक नई स्कीम 'मुख्यमंत्री कोविड–19 परिवार वित्तीय सहायता' 2021–22 से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी में परिवार की रोजी–रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के बाद बचे सदस्यों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

96. महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए महिला और बाल विकास विभाग कुछ प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रहा है जैसे–एकीकृत बाल विकास योजना, लाडली योजना, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहयोग। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

97. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान और उपेक्षित बच्चों की देखभाल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कार्यरत है।

98. दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12720 रूपए प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 6810 रुपए प्रतिमाह की मानदेय राशि उपलब्ध करा रही है।

99. दिल्ली सरकार 'जयभीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना' के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कोचिंग की सुविधा दे रही है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल होकर समुचित रोजगार पाने में सफल हो सकें।

100. एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है, जैसे–स्टेशनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहयोग, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

101. दिल्ली में सावजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत समाज के वंचित वर्गों को खाद्यान्न मुख्यतः चावल, गेहूं और चीनी रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। दिल्ली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाले पहला राज्य था। इसे भारत सरकार द्वारा एनएफएस अधिनियम 2013 लागू करने के तुरंत बाद पहली सितंब 2013 से दिल्ली में लागू कर दिया गया।

102. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक वितरण नेटवर्क में 2009 उचित मूल्य की दुकाने हैं जो 17.80 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्ड के जरिये 72.78 लाख आबादी को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं। यह खाद्य सुरक्षा कार्ड आधार से जुड़े होते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के प्रतिमाह 10 किलो चावल, 25 किलो गेहूं और एक किलो चीनी मिलती है। पीआर–पीएचएच श्रेणी का लाभार्थियों को प्रतिमाह 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं मिलता है।

103. दिल्ली सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई–पीओएस और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना जुलाई 2021 से लागू की है। इसके अनुसार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के

अंतर्गत जुलाई 2021 से दिल्ली में सभी उचित मूल्यों की दुकानों तक पहुंच लागू किए जाने के बारे में आदेश 19 जुलाई 2021 को जारी किया गया। इसके जरिये सभी प्रवासी लाभार्थियों को, जो अपने मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ई–पीओएस के जरिये बायोमैट्रिक पहचान की पुष्टि के बाद राशन लेने की अनुमति है।

104. कोविड–19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अतिरिक्त पांच किलो खाद्यान्न (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) प्रति माह प्रति लाभार्थी सदस्य की दर से और एक किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह की दर से भारत सरकार द्वारा सभी एनएफएफ लाभार्थियों को निशुल्क उपलब्ध कराया गया। यह योजना दो चरणों में (फेज–1 और फेज–2) अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक लागू की गई। भारत सरकार द्वारा यह योजना फिर मई 2021 से मार्च 2022 तक तीन चरणों में (फेज–3,4 और 5) चलाई गई। जिसमें प्रति लाभार्थी पांच किलो खाद्यान्न सभी एनएफएस लाभार्थियों को निशुल्क मुहैया कराया गया। 2022–23 में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत औसतन 5,21,994 प्रवासियों को राशन प्राप्त हुआ।

105. महामारी के दूसरे दौर में कोविड का फैलाव रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की पाबंदियों के असर को देखते हुए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में किसी की भी मृत्यु भूख से न हो, एक विशेष खाद्य राहत पहल–मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई, जिसके तहत सभी जरूरत मंद लोगों को और उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं सूखा राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध खाद्यान्न यानि पांच किलो (चार किलो गेहूं और एक किलो चावल) प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराया गया।

106. 2020–21 में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 2,52,61,391 किलो ग्राम गेहूं और 63,63,118 किलोग्राम चावल का वितरण लगभग 63.63 लाख लाभार्थियों को किया गया। खाद्यान्न का वितरण 588 निर्दिष्ट वितरण स्थलों/स्कूलों से किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन/कर्फ्यू प्रतिबंधों के दौरान पांच किलोग्राम खाद्यान्न/सूखा राशन (चार किलो गेहूं और एक किलो चावल) लगभग 41.07 लाख जरूरत मंद लोगों को निशुल्क उपलब्ध कराया गया।

जनसांख्यिकी प्रोफाइल

107. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या रिपोर्टों के अनुसार शहरीकरण की तेज गति के साथ ग्रामीण आबादी और ग्रामीण क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली में 1901 के 53 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 97 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में थी। यह राष्ट्रीय राजधानी में शहरीकरण की तेज वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली की ग्रामीण जनसंख्या 1991 के 9.49 लाख से घटकर 2011 में 4.19 लाख रह गई है। शहरीकरण की इस गति के कारण दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र के गांव की संख्या 1961 के 300 से कम होकर 2001 में 165 और 2011 में 112 रह गई है।

108. 1951 के बाद से पहली वार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आबादी की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई और यह 2011 में 21.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2001 मं यह 47.02 प्रतिशत थी। यह 2011 की जनगणना की एक अनोखी विशेषता थी, क्योंकि 1951 के बाद की सभी जनगणनाओं में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 50 प्रतिशत से अधिक ही। केवल 2001 में 47 प्रतिशत थी। जनसंख्या में तेज वृद्धि से जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ा और यह 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2001 में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 में 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया।

109. 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व लगभग 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोगों का था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक था।

दिल्ली में गरीबी रेखा

110. निर्धनता की व्याख्या उस स्थिति के रूप में की जा सकती है जब व्यक्ति या समुदायों को जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधनों, योग्यता और माहौल का अभाव होता है। यह वह स्थिति दर्शाती है जिसमें एक व्यक्ति आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त जीवन स्तर बनाये रखने में विफल हो जाता है। एनएसएस के 68वें दौर के आधार पर योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2011–12 में दिल्ली में गरीबी रेखा का आकलन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह 1145 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों के लिए 1134 रुपए किया गया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति था। 2011–12 में दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अनुमानित संख्या 16.96 लाख थी और यह संख्या दिल्ली की कुल आबादी का 9.91 प्रतिशत थी।

111. अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली एक रिपोर्ट जारी कर रहा है 'लेवल एंड पैटर्न ऑफ हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डेल्ही'। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा समय–समय पर कराये गए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर जारी की जा रही है। एनएसएस 68वें दौर (जुलाई 2011 से जून 2012) रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति व्यय 3726.66 रुपए है, जिसमें 1461.54 रुपए खाद्य सामग्री पर और 2265.12 रुपए गैर खाद्य सामग्री पर व्यय किए जाते हैं।

112. दिल्ली सरकार ने 2015 से दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, बिजली और महिला सुरक्षा क्षेत्रों में सब्सिडी उपलब्ध कराई है। सरकार द्वारा निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

रोजगार और बेरोजगारी

113. भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020–जून 2021 के दौरान कराए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में सभी आयुवर्ग में सामान्य स्तिथि (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रमबल भागीदारी दर (प्रतिशत में) 36.0 थी जबकि श्रमिक आबादी अनुपात (प्रतिशत में) 33.7 था। बेरोजगारी दर

(प्रतिशत में) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में 6.3 प्रतिशत थी। इसके अलावा जुलाई – सितम्बर 2022 तिमाही के लिए त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार शहरी दिल्ली में 15 वर्ष और अधिक के आयु वर्ग में जनवरी–मार्च 2022, अप्रैल–जून 2022 और जुलाई–सितंबर 2022 की तिमाहियों में बेरोजगारी दर (प्रतिशत में) क्रमशः 7.8, 6.2 और 4.1 थी।